न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

निगरानी नगरपालिका अधिनियम संख्या 06/2006(GCMS No. : 2006/00001)

जगदीश चंद्र पुत्र श्री गणेशीलाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड संख्या 03, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **नगरपालिका, सादुलशहर** जरिये चेयरमैन
2. **साधू सिंह** पुत्र धन सिंह मुख्य व्यवस्थापक, सादुलशहर फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति, श्रीगंगानगर
3. **शंकरलाल स्वामी, अधिशाषी अधिकारी,** नगरपालिका सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.05.2024

अपीलार्थी श्री जगदीश चन्द्र के अभिभाषक श्री निर्मल गोयल अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री भगत सिंह जाखड़ एवं सुरेश अरोड़ा उपस्थित नहीं हुए।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि फर्दअहकाम पर अंकित रिपोर्ट अनुसार पत्रावली दिनांक 09.06.2015 लगातार बहस में चली आ रही है, उभयपक्षकार के अधिवक्ताओं द्वारा बहस नहीं की गई। दिनांक 12.10.2020 से लगातार उभयपक्षकार एवं उनके प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित भी नहीं आ रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारान् को उक्त निगरानी को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिनांक 08.05.2024 को भी **उभयपक्षकारों एवं उनके** अधिवक्तागण को बार–बार आवाज़ लगाई गई, परन्तु उभयपक्षकारों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, **इसलिए** दिनांक 08.05.2024 को उभयपक्षकारों को बहस हेतु अंतिम मौका दिया गया, इसके पश्चात भी उभयपक्षकार को दिनांक 13.05.2024 एवं आज दिनांक 27.05.2024 को भी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए निगरानी को इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्त्ता की निगरानी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सादुलशहर, को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested